बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2017 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत गया में दो मंजिले निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु 4.62 करोड़ (चार करोड़ बासठ लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4.62 करोड़ (चार करोड़ बासठ लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन गया शहर के अंतरराष्ट्रीय महत्व के देखते हुए Green Building परिकल्पना पर नये दो मंजिले निरीक्षण भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 4.62 करोड़ (चार करोड़ बासठ लाख) रूपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अंतर्गत गया में दो मंजिले निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु 4.62 करोड़ (चार करोड़ बासठ लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4.62 करोड़ (चार करोड़ बासठ लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111– बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड– 10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2017 के पृष्ठ संख्या–5/टि0 पर दिनांक–19.03.2018 को प्राप्त है।

7. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2017 के पृष्ठ संख्या–7/टि0 पर दिनांक–21.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2017 953 /पटना, दिनांक–23/03/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।